न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास श्री रोहिताश्व सिंह तोमर, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 02/2022

प्रार्थी

1. राजस्थान राज्य जरिए पंचायत प्रसार अधिकारी पंचायत समिति आबूरोड जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. सरपंच ग्राम पंचायत आमथला तहसील देलदर जिला सिरोही।
2. श्री जामत पुत्र श्री हिन्दुजी राव निवासी गोलिया कारोली पंचायत समिति आबूरोड जिला सिरोही के कायम मुकाम–

2.1. श्रीमती नर्बदा देवी पत्नि श्री जामतसिंह निवासी गोलिया कारोली पंचायत समिति आबूरोड जिला सिरोही।

2.2. श्री हिरसिंह पुत्र श्री जामतसिंह निवासी गोलिया कारोली पंचायत समिति आबूरोड जिला सिरोही।

2.3. श्री नरेन्द्रसिंह पुत्र श्री जामतसिंह निवासी गोलिया कारोली पंचायत समिति आबूरोड जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थितिः–

1. श्री खंगाराराम, अतिरिक्त विकास अधिकारी, जिला परिषद सिरोही, प्रार्थी की ओर से।
2. श्री नगेन्द्र मेडतिया, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या दो की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 26.05.2026

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत सरपंच ग्राम पंचायत, आमथला द्वारा अप्रार्थी संख्या दो श्री जामतसिंह पुत्र श्री हिन्दुजी राव निवासी गोलिया कारोली के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 45 दिनांक 30.03.1985 क्षेत्रफल 2864.60 वर्गगज को निरस्त कराने हेतु इस बिनाय पर प्रस्तुत किया है कि उक्त पट्टा ग्राम पंचायत आमथला द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 257, 258, 259, 260 की पालना किये बिना नियम 266 के तहत विधि विरूद्ध तरीके से जारी किया गया है।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये, जिस पर अप्रार्थी संख्या दो के कायम मुकाम 2.1 से 2.3 की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र मेडतिया द्वारा जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी गई और जबाव पेश किया गया, जो शामिल मिसल किया गया। अतः प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से श्री खंगाराराम, अतिरिक्त विकास अधिकारी जिला परिषद सिरोही ने दौराने बहस मेरा ध्यान प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह

जिला कलेक्टर, सिरोही

....पेज नं. 02

व्यक्त किया कि अप्रार्थी संख्या एक सरपंच ग्राम पंचायत आमथला ने अप्रार्थी संख्या दो को नियमों के विरुद्ध राजस्थान पंचायतीराज नियम 1961 के नियम 266(1)घ के अन्तर्गत विक्रय विलेख संख्या 45 दिनांक 30.03.1985 क्षेत्रफल 2864.6 वर्गगज का जारी किया है, जो खारिज किए जाने योग्य है। यह कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को जारी विक्रय विलेख में राजस्थान पंचायतीराज नियम 256(2)(2) की पालना पूर्ण रुप से नहीं की गई है, क्योंकि ग्राम पंचायत द्वारा भूखण्ड के नजरी नक्शे में कांट छांट की गई है व सरपंच, सचिव, नक्शा नवीस के हस्ताक्षरों का अभाव पाया गया। अतः नियम 257 की पालना पूर्ण रुप से नही की गयी है। अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को जारी विक्रय विलेख में नियम 258 के अन्तर्गत तीन वार्ड पंचो की कमेटी का मौका निरीक्षण करवाना था, परन्तु अप्रार्थी संख्या एक द्वारा इसकी पालना पूर्ण रुप से नहीं की गयी है, तथा न ही नियम 258 के बिन्दु संख्या 'ड' में मौका निरीक्षण कमेटी द्वारा विक्रय बेचान योग्य है अथवा नही, टिप्पणी नहीं की गई है तथा मौका निरीक्षण कमेटी के तीन सदस्यों में से केवल 2 ही सदस्यो के हस्ताक्षर है, जिससे मौका निरीक्षण कमेटी की रिपोर्ट वैध नहीं है। अतः अप्रार्थी संख्या एक द्वारा नियम 258 की पालना पूर्ण रुप से नहीं की गई है। यह कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को जारी विक्रय विलेख में भूमि के प्रस्तावित विक्रय के सम्बन्ध में आपत्ति मांगने की सूचना प्रपत्र, नियम 260 व प्रपत्र संख्या 50 की पालना पूर्ण रुप से नहीं की गई है, आपत्ति नोटिस में चतुर्दशी का अंकन नहीं किया गया है, तथा नाप में भी कांट छांट की गई है, इसके अतिरिक्त किसके द्वारा एवं किसके समक्ष चस्पा किया गया, इसका उल्लेख नहीं है। साथ ही चस्पा कार्यवाही का सरपंच द्वारा प्रमाणीकरण का भी अभाव पाया गया। अतः उक्त में अप्रार्थी संख्या एक द्वारा नियम 260 में दिए गए दिशा निर्देशों की पालना पूर्ण रुप से नहीं की गई है। यह कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को जारी विक्रय विलेख कार्यवाही में गवाहों (प्रभुराम/मूलाजी, अजमाराम/मानाजी) के बयान लिए गए है, गवाहों द्वारा अप्रार्थी संख्या दो का कब्जा 8 व 10 वर्ष पुराना बताया गया है, राजस्थान पंचायतीराज नियम 266 (घ) के तहत 20 वर्ष अथवा उससे अधिक परन्तु 40 वर्ष से कम होने पर ही कब्जा मानकर विक्रय विलेख जारी किया जाता है। अतः अप्रार्थी संख्या एक द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 266 (घ) की पालना नहीं की गई है। यह कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को जारी विक्रय विलेख में आज्ञाओं की सूची दिनांक 25.8.1984, 02.01.1985 व 23.01.1985 की बैठकों का हवाला दिया गया है, जिसमें अप्रार्थी संख्या एक द्वारा बैठक दिनांक 02.01.1985 में नजरी नक्शा, पंच कमीशन की रिपोर्ट, एक माह का आपत्ति नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया है, तत्पश्चात बैठक दिनांक 23.01.1985 के अवलोकन पर पाया कि उक्त दिनांक को अप्रार्थी संख्या एक द्वारा आपत्ति नोटिस, गवाहों के बयान का हवाला दिया जाकर अप्रार्थी संख्या दो का कब्जा मानकर विक्रय 1 रुपये वर्गगज की दर से पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया है, चूंकि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा आपत्ति नोटिस 02.01.1985 को जारी किया गया व निर्णय दिनांक 23.01.1985 को लिया गया, जिसमें अप्रार्थी संख्या एक द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 260 के एक माह की अवधि की पालना नहीं की गई है। यह कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को जारी विक्रय विलेख में नियम 1961 के नियम 265 (3)(1) के तहत सक्षम स्तर (उपखण्ड अधिकारी) से अनुमोदन नहीं करवाया जाकर उक्त नियमों की पालना नहीं की जाकर अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को पट्टा संख्या 45 दिनांक 30.03.1985 को अनियमित रुप से जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या दो की मृत्यु दिनांक 01.10.1987 को हो चुकी है, अतः अप्रार्थी संख्या दो के उत्तराधिकारियों को पक्षकार बनाया गया है। यह कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को पट्टा संख्या 48 दिनांक 11.12.1978 को ग्राम गोलिया (कारोली) में कुल क्षेत्रफल 1500 वर्गफुट का एवं पट्टा संख्या 15 दिनांक 27.10.1986 कुल क्षेत्रफल 759 वर्गगज का जारी किया गया, जिसमें अप्रार्थी संख्या एक की अप्रार्थी संख्या दो से मिलीभगत सिद्ध होती है, अप्रार्थी संख्या दो को 3–3 स्थानों पर कब्जे मानकर पट्टे जारी करना अप्रार्थी संख्या एक व दो की आपस में षडयंत्रपूर्वक सांठगाठ कर छलकपटपूर्वक लोक सम्पत्ति को हडपकर सरकार को भारी राजस्व हानि

....पेज नं. 03

जिला कलेक्टर, सिरोही

पहुंचाना प्रतीत होता है। अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को जारी विक्रय विलेख के नजदीक मोर्डन इन्सुलेटर लिमिटेड जैसे बडे उद्योग स्थित है, जिसके कारण आस-पास की जमीनें बेशकीमती है, जिनकी कीमत लाखों करोडों रुपयो की है। अतः अप्रार्थी संख्या दो को विधि विरुद्ध तरीके से लाभ पहुंचाया गया है, जो अपराधिक षडयंत्र की श्रेणी में आता है। यह कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर अपील सं. 3545/06 व एस.एल.पी नम्बर 9938/2004 में पारित निर्णय आदेश 14.08.2006 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत आकराभट्टा में जारी विक्रय विलेखों वर्ष 1996-97 में निरस्त किए गए पट्टेधारकों को उनके भूखण्ड से बेदखल कर पुनः खुली नीलामी बोली से नीलाम करने के आदेश दिए गए थे। यह कि श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सिरोही द्वारा अपने पत्र क्रमांक/पंचायत/जांच/2014/दिनांक 22 दिसम्बर 2014 द्वारा उक्त पट्टा सं. 45 दिनांक 30.03.1995 को निरस्त कराने हेतु राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत पंचायत निगरानी सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये है, जिनकी अनुपालना में यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है। अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम पंचायत आमथला द्वारा नियमों के विपरीत छल-कपटपूर्वक जारी पट्टा संख्या 45 दिनांक 30.03.1985 क्षेत्रफल 2864.60 वर्गगज को निरस्त करना फरमावें।

अप्रार्थी संख्या दो के कायम मुकाम 2.1 से 2.3 के लायक अधिवक्ता श्री नगेन्द्र मेडतिया द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान इस निगरानी मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि ग्राम पंचायत आमथला द्वारा विधि अनुसार विक्रय विलेख संख्या 45 दिनांक 30.03.1985 को जारी किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता या अवैद्यता नहीं है। उक्त पट्टा विधि अनुसार पंजीयन हुआ है, जिससे उक्त दस्तावेज एक पंजीकृत दस्तावेज है। पंचायत प्रसार अधिकारी द्वारा 30 वर्षों से अधिक समय के बाद उक्त निगरानी प्रस्तुत की है, जो म्याद बाहर है तथा खारिज किए जाने योग्य है। यह कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी विक्रय विलेख में नियम 256 (2)(2) राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 की पालना पूर्ण रूप से नहीं करने का कथन अस्वीकार है। ग्राम पंचायत द्वारा नक्शें में कांट छांट करने का कथन गलत है, सरपंच वगैरा के हस्ताक्षर उक्त नक्शा पर नहीं होने से सम्पूर्ण कार्यवाही गलत नहीं होती है। वार्ड पंचों की कमेटी के निरीक्षण के समय तीन व्यक्तियों द्वारा मौका निरीक्षण किया गया था, लेकिन तीन सदस्यों के स्थान पर दो सदस्यों के ही हस्ताक्षर मौका रिपोर्ट पर होने, मौका निरीक्षण रिपोर्ट वैद्य नहीं होने का कथन गलत है तथा अस्वीकार है। मौका निरीक्षण विधि अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा गठित कमेटी द्वारा किया गया था, जिसकी रिपोर्ट नियमानुसार ग्राम पंचायत में प्रस्तुत की गई है। उक्त रिपोर्ट में लिखे गए तथ्यों पर कोई आक्षेप नहीं है। दो वार्ड पंचों के हस्ताक्षर होने तथा एक वार्ड पंच के हस्ताक्षर नहीं होने से पट्टे की कार्यवाही अवैद्य नहीं हो जाती है। नियम 258 राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 की पूर्ण पालना की गई है। यह कि गवाह ने अपनी जानकारी के अनुसार बयान दिए है, इसके अलावा ग्राम पंचायत द्वारा भी अपने स्तर पर पूर्ण जॉच कर पट्टा जारी किया गया है। पट्टा की भूमि पर पुराना विधि अनुसार कब्जा होने से पट्टा जारी किया गया है। नियम 266(घ) राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 की पालना पूर्ण रूप से की गई है। पट्टा जारी करने हेतु मिसल संख्या 240 दिनांक 29.08.1984 को संस्थित की गई थी, जिसका अंकन पट्टे में किया गया है, उसके करीब पॉच माह बाद उक्त मिसल को फैसल किया गया है तथा पट्टा उसके करीब दो माह बाद जारी किया गया है। आपत्ति नोटिस विधि अनुसार जारी किया जाकर मिसल नियमानुसार संधारित की गई है। प्रार्थी द्वारा गलत व झूठे कथन कर निगरानी प्रस्तुत की गई है, जो खारिज किए जाने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा वादग्रस्त सम्पति का पट्टा विधि अनुसार जारी किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार की अवैद्यता, अनियमितता नहीं है। गलत तथ्यों के आधार पर निगरानी प्रस्तुत की है, जो खारिज किए जाने योग्य है। स्वर्गीय जामतसिंहजी की पुत्रियों को इस प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है, जो कि आवश्यक पक्षकार है, जिसके अभाव में यह प्रार्थना पत्र कानूनन परिपोषणीय नहीं होने से

जिला कलेक्टर, सिरोही

....पेज नं. 04

खारिज किए जाने योग्य है। तत्कालीन सरपंच से अप्रार्थी संख्या एक की कोई मिलीभगत कभी भी नहीं रही है। तत्कालीन सरपंच डुंगरसिंह के पिता व परिवारजन ने गाँव कारोली में अप्रार्थी संख्या एक जामतसिंहजी की माता, भाईयों व बहनों सहित कुल 9 सदस्यों की हत्या कर दी थी, जिसके सम्बंध में मुकदमें भी चले है, डुंगरसिंह व उसके परिवारजन के विरूद्ध जामतसिंहजी ने मुकदमें भी दर्ज करवाए है, धारा 107 सी.आर.पी.सी. के तहत भी कार्यवाहियां की है। तत्कालीन सरपंच डुंगरसिंह व जामतसिंहजी के बीच रंजिश पुरानी चली आ रही थी। दोनों के मध्य किसी भी प्रकार की कोई मिलीभगत नहीं रही है। जबकि वादग्रस्त सम्पत्ति जामतसिंहजी के पुराने कब्जे भोगवटा की थी, जिसमें उनके आवासीय मकान भी बने हुए थे तथा पट्टा विधि अनुसार जारी किया गया है। यह कि वर्ष 1984–85 में उक्त भूमि की कोई कीमत नहीं थी, उक्त पट्टा की भूमि के पास कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं था तथा वर्तमान में भी नहीं है। वर्तमान में भूमि की कीमत बेशकीमती हो जाने का कथन गलत किया गया है। गलत तथ्यों के आधार पर केवल मात्र कल्पना के आधार पर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। माननीय सर्वोच्य न्यायालय या अन्य किसी भी न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के हक में जारी पट्टा को निरस्त नहीं किया गया है, उक्त आदेश निरस्त किए गए पट्टों की भूमि से सम्बंधित है, उक्त आदेश इस निगरानी या अप्रार्थी संख्या एक के हक में जारी पट्टे को प्रभावित नहीं करता है। यह निगरानी केवल मात्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी के आदेश की पालना में प्रस्तुत की गई है, जिसका कोई आधार नहीं है। पट्टा जारी किए हुए करीब 40 वर्ष की अवधि हो चुकी है। कानूनन इतनी लम्बी अवधी के बाद पट्टा निरस्त नहीं किया जा सकता है, जिससे प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है। यह कि पट्टा संख्या 45 दिनांक 30.03.1985 को ग्राम पंचायत आमथला द्वारा विधि अनुसार अप्रार्थी संख्या दो जामतसिंहजी के हक में जारी किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार की अवैद्यता या अनियमितता नहीं है। अन्यथा भी पट्टा जारी करने हेतु आवेदन ग्राम पंचायत में करने के बाद समस्त कार्यवाही ग्राम पंचायत के स्तर पर की जानी होती है तथा ग्राम पंचायत ने विधि अनुसार कार्यवाही कर पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत की कार्यवाही में किसी भी प्रकार की कमी या लोप से समस्त कार्यवाही को अवैद्य करार नहीं दिया जा सकता है। उक्त पट्टा जारी होने के बाद उसका नियमानुसार उप पंजीयक कार्यालय आबूरोड में पंजीयन किया गया है, जिससे उक्त पट्टा एक पंजीकृत दस्तावेज होने से उसे निरस्त करने का क्षेत्राधिकार केवल मात्र सिविल न्यायालय को होने से निगरानी परिपोषणीय नहीं होने से खारिज किए जाने योग्य है। यह कि उक्त पट्टा जारी होने के बाद करीब 40 वर्ष की अवधि गुजर चुकी है, उसके करीब 30–35 वर्ष पूर्व से जामतसिंहजी का उक्त सम्पत्ति पर पुराना कब्जा भोगवटा स्वामित्व रहा है तथा इतनी लम्बी अवधि से पट्टा की सम्पत्ति में जामतसिंहजी के वारिसान का स्वत्व अधिकार पैदा हो चुके है तथा इतनी लम्बी अवधि के बाद अप्रार्थीगण को उनके स्वामित्व की सम्पत्ति से कानूनन वंचित नहीं किया जा सकता है, जिससे प्रार्थना पत्र परिपोषणीय नहीं होने से खारिज किए जाने योग्य है। यह कि जामतसिंहजी के वारिसान ने उक्त सम्पत्ति का हिस्सा विक्रय कर दिया तथा कब्जा क्रेता श्री मोतीलाल नागौरा को सुपुर्द कर दिया है, सम्पत्ति में श्री मोतीलाल नागौरा को हक अधिकार व स्वामित्व प्राप्त हो चुका है, जिसके हक में भी पंजीकृत विक्रय विलेख है। मौके पर क्रेता श्री मोतीलाल नागौरा का कब्जा होने से इस निगरानी में क्रेता को पक्षकार नहीं बनाए जाने से यह निगरानी कानूनन परिपोषणीय नहीं होने से खारिज किए जाने योग्य है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी को सव्यय खारिज किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस एवं प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली का भलिभॉति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

सरपंच ग्राम पंचायत, आमथला द्वारा अप्रार्थी संख्या दो श्री जामतसिंह पुत्र श्री हिन्दुजी राव निवासी गोलिया कारोली के पक्ष में पट्टा संख्या 45 दिनांक 30.03.1985 क्षेत्रफल 2864.60 वर्गगज का राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 266 के अनुसार पंचायत आबादी भूमि में से जारी किया गया है।

जिला कलेक्टर, सिरोही

....पेज नं. 05

जहां तक अप्रार्थी के लायक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र म्याद बाहर प्रस्तुत किए जाने का कथन है, तो इस संबंध मे विधिक दृष्टान्त एएआर 1997 पेज 783, आरएलडब्लू 1999(3) राजस्थान पेज 1390, आरएलडब्लू 1997(3) राजस्थान पेज 1567 मे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 धारा 97 का प्रयोग करते समय परिसीमा अधिनियम, 1963, अनुच्छेद 137 के अधीन पुनरीक्षण शक्तियों का उपयोग करने हेतु राज्य सरकार की शक्तियॉ जिला कलेक्टर को दी गई है। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1953 की धारा 27(क) सपठित राजस्थान पंचायत एवं साधारण नियम 1961 के नियम 272 के अन्तर्गत परिसीमा की अवधि के प्रावधानों के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा पुनरीक्षणीय शक्तियों का प्रयोग अभिनिर्धारित न्यायोचित अवधि के भीतर करने का निर्णय दिया गया है। साथ ही न्यायोचित अवधि प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करेगी ।

अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा यह प्रार्थना पत्र म्याद बाहर प्रस्तुत किये जाने का कथन है, कि यह निगरानी प्रार्थना पत्र लम्बे समय बाद प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी अधिवक्ता का यह कथन सत्य है, किन्तु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी विधिक दृष्टान्तों मे पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने मे प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करना माना गया है, एवं ऐसे प्रकरण मे भी समयावधि के बारे मे उचित अवधि का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अप्रार्थी संख्या दो को उक्त प्रश्नगत पट्टा संख्या 45 दिनांक 30.03.1985 क्षेत्रफल 2864.60 वर्गगज सरपंच ग्राम पंचायत, आमथला द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 266 के तहत 2864/– रूपये शुल्क लेकर जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 266 के अनुसार पंचायत आबादी भूमि में भूखण्ड आवंटन हेतु व्यक्तियों का आबादी भूमि पर कब्जा 20 वर्ष अथवा अधिक परन्तु 40 वर्षो से कम का है वहां विद्यमान बाजार कीमत का 1/3 भाग और जहां कब्जा 40 वर्ष से अधिक का है वहां विद्यमान बाजार दर का छठा भाग प्रभारित किया जायेगा। परन्तु पत्रावली पर ऐसा किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जो यह साबित करता हो कि उक्त प्रश्नगत पट्टे से सम्बन्धित भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या दो का 20 वर्ष से अधिक पुराना कब्जा हो। अप्रार्थी संख्या दो को जारी विक्रय विलेख कार्यवाही में अप्रार्थी संख्या दो की ओर से श्री प्रभुराम पुत्र मूलाजी एवं श्री अजबाराम पुत्र मानाजी के बयान लिए गए थे, जिनके द्वारा अपने बयानों में भी यह व्यक्त किया गया है कि उक्त प्रश्नगत भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या दो का आठ से दस पूर्व का कब्जा है। अतः इस प्रकार यह तथ्य स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या दो का उक्त प्रश्नगत पट्टे से सम्बन्धित भूखण्ड पर 20 वर्ष से अधिक पुराना कब्जा नहीं था जबकि राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 266 के अनुसार कम से कम 20 वर्ष से अधिक पुराना कब्जा होना आवश्यक है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि ग्राम पंचायत द्वारा बैठक दिनांक 02.01.1985 में नजरी नक्शा, पंच कमीशन की रिपोर्ट एवं एक माह का आपत्ति नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया था, तत्पश्चात बैठक दिनांक 23.01.1985 के अवलोकन से पाया गया कि उक्त बैठक में अप्रार्थी संख्या एक द्वारा आपत्ति नोटिस, गवाहों के बयान का हवाला दिया जाकर अप्रार्थी संख्या दो का कब्जा मानकर 1 रुपये वर्गगज की दर से शुल्क लेकर पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया है, चूंकि ग्राम पंचायत द्वारा आपत्ति नोटिस दिनांक 02.01.1985 को जारी किया गया तथा उक्त आपत्ति नोटिस की एक माह की निर्धारित समयावधि से पूर्व ही दिनांक 23.01.1985 को ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने निर्णय लिया गया, जिसमें ग्राम पंचायत आमथला द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 260 के एक माह की अवधि की पालना नहीं की गई है। इसके अलावा ग्राम पंचायत द्वारा भूखण्ड के नजरी नक्शे में कांट–छांट की गई है तथा नजरी नक्शे पर सरपंच, सचिव व नक्शा नवीस के हस्ताक्षरों का भी अभाव पाया गया। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा नियम 257 की पालना

....पेज नं. 06

जिला कलेक्टर, सिरोही

पूर्ण रुप से नहीं की गयी है। ग्राम पंचायत आमथला द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के पक्ष में जारी विक्रय विलेख में नियम 258 के अन्तर्गत तीन वार्ड पंचो की कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण करवाया जाना चाहिए था, परन्तु मौका निरीक्षण प्रपत्र पर कमेटी के तीन सदस्यों में से केवल दो ही सदस्यों के हस्ताक्षर है, जिससे पट्टा जारी करने की कार्यवाही संदेहास्पद प्रतीत होती है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पटवार हल्का आमथला द्वारा उक्त प्रश्नगत भूखण्ड मौजा कारोली के खसरा संख्या 526/184 में स्थित होने की पुष्टि की गई है एवं मौजा कारोली के खसरा संख्या 184 में से 5 बीघा भूमि को जिला कलक्टर कार्यालय सिरोही द्वारा जरिए आदेश क्रमांक 2425–30 दिनांक 17.03.1983 के द्वारा आबादी विस्तार हेतु आवंटन की गई थी एवं आवंटन आदेश की शर्त के अनुसार उक्त आवंटित भूमि 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत बेघर–बार लोगों को नियमानुसार आवंटन की जानी चाहिए थी, परन्तु अप्रार्थी संख्या दो के पास उक्त प्रश्नगत पट्टे से सम्बन्धित भूखण्ड के अलावा अन्य भूखण्ड भी था, जिसका पट्टा संख्या 48 दिनांक 14.12.1978 क्षेत्रफल 1500 वर्गफीट का ग्राम पंचायत आमथला द्वारा जारी किया गया था, जिससे अप्रार्थी संख्या दो बेघर–बार लोगों की श्रेणी में नहीं आता था। इस प्रकार ग्राम पंचायत आमथला द्वारा उपरोक्त आवंटन आदेश की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए अप्रार्थी संख्या दो के पास पहले से ही पट्टेशुदा भूखण्ड होते हुए भी उक्त प्रश्नगत भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है। अप्रार्थी संख्या 2/1 से 2/3 के अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि उक्त वादग्रस्त पट्टे की सम्पत्ति का कुछ हिस्सा अन्य व्यक्तियों को विक्रय कर दिया गया है, परन्तु उनके द्वारा अपने इस कथन के समर्थन मे किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं न ही किसी भी प्रकार का कोई पंजीबद्ध विक्रय विलेख की प्रति प्रस्तुत की है, जिससे यह साबित होता हो कि उक्त वादग्रस्त पट्टे की सम्पत्ति का कुछ हिस्सा अन्य व्यक्तियों को विक्रय कर दिया गया है। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा यह भी कथन किया गया है कि अप्रार्थीगण द्वारा उक्त वादग्रस्त पट्टे का पंजीयन करवाया हुआ है, जिसे केवल मात्र सिविल न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकती है, परन्तु उनके द्वारा अपने इस कथन के समर्थन में भी किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य या पंजीयन दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह साबित होता हो कि उक्त वादग्रस्त पट्टे का पंजीयन करवाया हुआ है। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा यह भी कथन किया गया है कि अप्रार्थी संख्या दो श्री जामतसिंह की फौत हो चुकी है एवं पट्टे की सम्पत्ति पर उसके वारिसान काबिज है। अप्रार्थी अधिवक्ता यह कथन सत्य है कि श्री जामतसिंह की फौत हो चुकी है, परन्तु प्रार्थी द्वारा पट्टाधारक श्री जामतसिंह की फौत हो जाने के पश्चात उनके कायम मुकाम को पक्षकार बनाकर ही निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। पट्टाधारक श्री जामतसिंह के अप्रार्थी संख्या 2.1 से 2.3 के अलावा अन्य कोई वारिसान होने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं विधिक दृष्टांत D.B. Spl. Writ No. 16/2022 Date 24.01.2022, S.B. Civil Writ Petition No. 13197/2015 Date 16.11.2015, S.B. Civil Writ Petition No. 7282/2005 Date 01.02.2012 के अवलोकन से यह न्यायालय ग्राम पंचायत आमथला द्वारा अप्रार्थी संख्या दो श्री जामतसिंह पुत्र श्री हिन्दुजी राव निवासी गोलिया कारोली के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 45 दिनांक 30.03.1985 क्षेत्रफल 2864.60 वर्गगज को न्यायसंगत नहीं मानता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत आमथला द्वारा अप्रार्थी संख्या दो श्री जामतसिंह पुत्र श्री हिन्दुजी राव निवासी गोलिया कारोली के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 45 दिनांक 30.03.1985 क्षेत्रफल 2864.60 वर्गगज को निरस्त किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर, सिरोही